कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/बी)/2016 दिनांकः जनवरी 24, 2022

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

विषयः विद्यालय भवन **मुकुलारण्यम् डी–57/32 सिगरा, वाराणसी** में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांकः 17.01.2022

कृपया आवेदक के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो विद्यालय भवन **मुकुलारण्यम् डी–57/32 सिगरा, वाराणसी** का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः 01.07.2017 का अवलोकन करें, जिसमें अंकित है कि:–

"प्रमाणित किया जाता है कि, मेसर्स स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, मुकुलारण्यम् डी–57/32 सिगरा, वाराणसी प्लाट एरिया–800.0 वर्गमीटर, कुल कवर्ड एरिया–400.0 वर्गमीटर, जो जी+03 तक एवं बेसमेन्ट की संख्या शून्य बेसमेन्ट है, जिसकी ऊँचाई 12.9 मीटर मीटर है। भवन का अधिभोग विद्यालय के रूप में किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी आवासीय ग्रुप ए–1 के अन्तर्गत बैधता तिथि दिनांकः 16.01.2019 से दिनांकः 15.01.2022 तक 03 वर्षो के लिए इस शर्तो के साथ निर्गत किया जा रहा है कि, क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, मुकुलारण्यम् डी–57/32 सिगरा, वाराणसी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।"

उ0प्र0 शासन के आदेश संख्याः 1765/छः–पु0–8–2017–905(34)/2016 दिनांकः 16.02.2018 व मुख्यालय फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार समस्त प्रकार की आख्या तीन वर्ष के लिये निर्गत किया जा रहा है।

अतः आवेदक के विद्यालय भवन **मुकुलारण्यम् डी–57/32 सिगरा, वाराणसी** में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण आख्या इस शर्त पर निर्गत तिथि से तीन वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है कि, आवेदक नियत तिथि के उपरान्त **upfireservice.gov.in** पर आन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, अग्निशमन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(अनिमेष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
वाराणसी।

(अनिमेष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, मुकुलारण्यम् डी–57/32 सिगरा, वाराणसी।
2. अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।